



Department of Elementary Education

Govt. of Uttarakhand

APPENDIX-TWO

FORM-2(a)

SEE RULE 17(A) OF THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) RULES, 2013

Email : Email : deobasicharidwar@gmail.com

Phone Number :

Fax Number :

OFFICE OF CHIEF EDUCATION OFFICER Haridwar, Uttarakhand
Letter No : Letter No.:Basic/RTE/new/3682/2024-2
5Dated26-09-2024(Schoolcode-1383

Dated : 28-09-2024

To,

The Manager,
Baba Kishan Jyot Memorial Public Junior High School, Vill. Tugalpur Post Khanpur Distt. Haridwar
Haridwar, Laksar, KHANPUR, Pin-Code: 247663

Sub: Regarding issue of compliance certificate of prescribed norms and standard of the schedule of RTE Act under Rule 17(A) of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2013 for the purpose of section- 19(2) of Right of Children to Free and Compulsory Education Act,2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to your school's declaration form received on dated 28-09-2024 I Convey the compliance certificate for prescribed norms and standards of schedule of the Act under SECTION-19(2) of the Act to your school Baba Kishan Jyot Memorial Public Junior High School, Vill. Tugalpur Post Khanpur Distt. Haridwar, Haridwar, Laksar, Pin-Code: 247663. The registration/recognition number of your school is RTE104553 in District Haridwar. This registration/recognition is for the period from 28-09-2024 to 28-09-2029 class Pre- Primary to Class VIII in English medium. if prescribed norms and standards of schedule of the Act are violated in future, then action shall be taken for the withdrawal of recognition/no objection certificate according to rule-18 of Uttarakhand Right to Education rules,2011.


प्रधानांक
बाबा कृशन ज्योति मेमोरियल पब्लिक
हाईस्कूल, तुगलपुर, खानपुर (हरिद्वार)


(Principal)
Baba Kishan Jyoti Memorial
Public Junior High School
Tugalpur

Your's faithfully,
Chief Education Officer
District Haridwar
Uttarakhand

*This is system generated certificate no signature required.

प्रेषक,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबा किशन ज्योति
मैमोरियल पब्लिक जूनियर हाईस्कूल,
तुगलपुर, खानपुर, हरिद्वार।

पत्रांक:मान्यता(मा0)/7-ख(2)/ 494-98 /कक्षा संचालन/2024-25 दिनांक:25-4-2025

विषय : हाईस्कूल नवीन(हिन्दी माध्यम) की वित्त विहीन मान्यता के फलस्वरूप कक्षा-9 संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-152/XXIV-4/2025-05(17)/2024 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4, देहरादून दिनांक 07 मार्च 2025 के अनुक्रम में सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल के पत्रांक-मान्यता-246(101)/985-89/2024-25 दिनांक 10 मार्च 2025 के अनुसार बाबा किशन ज्योति मैमोरियल पब्लिक जूनियर हाईस्कूल, तुगलपुर, खानपुर, हरिद्वार को विद्यालयी शिक्षा अधिनियम-2006 की धारा-11(क) के अन्तर्गत हाईस्कूल की नवीन(हिन्दी माध्यम) वित्तविहीन मान्यता सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ प्रदान किये जाने के फलस्वरूप परिषद् की परीक्षा वर्ष-2026 से हाईस्कूल नवीन(हिन्दी माध्यम) की परीक्षा से अनुमति प्रदान की गई है।

आप द्वारा कक्षा संचालन की अनुमति हेतु पत्र दिनांक 19 मार्च 2025 एवं शपथ-पत्र दिनांक 19 मार्च 2025 प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि परिषद् द्वारा निर्गत मान्यता पत्र में उल्लिखित मान्यतानुरूप सभी मानक पूर्ण कर लिये गये हैं। तदक्रम में आप द्वारा प्रस्तुत उक्त पत्र/शपथ पत्र के क्रम में जनपद स्तर से विद्यालय को कोड नम्बर-295 आवंटित करते हुए परिषद् द्वारा निर्गत मान्यता पत्र में उल्लिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों के क्रम में कक्षा-09 संचालन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि नवीन कक्षाएं संचालित किये जाने का समस्त व्ययों के भार का समस्त उत्तरदायित्व प्रबन्ध तंत्र एवं संस्थाधिकारी का होगा। विद्यालय द्वारा शासन के प्रचलित नियमों एवं भविष्य में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अवैधानिक कक्षाएं संचालित नहीं की जायेंगी। संस्था द्वारा यदि कोई तथ्य छिपाया गया अथवा गलत पाया जाता है, तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

मान्यता विवरण	अनिवार्य विषय	अतिरिक्त विषय
हाईस्कूल नवीन (हिन्दी माध्यम)	1- हिन्दी 2- अंग्रेजी/संस्कृत 3- गणित/गृह विज्ञान(बालिकाओं के लिए) 4- विज्ञान 5- सामाजिक विज्ञान 6- योग आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा 7- कार्यानुभव/उद्यमिता विकास 8- कला शिक्षा	9 (क) तृतीय भाषा (ख) वाणिज्य (ग) पेंटिंग (घ) संगीत (ङ) गृह विज्ञान (च) सूचना एवं प्रौद्योगिकी (छ) कृषि

भबदीय,

(को को मुप्ता)

मुख्य शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार।

पृ0सं0:मान्यता(मा0)/7-ख(2)/ /कक्षा संचालन/2024-25 दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01- सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।

02- मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

03- खण्ड शिक्षा अधिकारी, खानपुर।

04- प्र0अ0, बाबा किशन ज्योति मैमोरियल पब्लिक जूनियर हाईस्कूल, तुगलपुर, खानपुर, हरिद्वार।

प्रबन्धक
बाबा किशन ज्योति मैमोरियल पब्लिक
हाईस्कूल, तुगलपुर, खानपुर (हरिद्वार)

(Principal)
Baba Kishan Jyoti Memorial
Public Junior High School
Tugaiapur

मुख्य शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार।

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर, (नैनीताल)।

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबा किशन ज्योति
मैमोरियल पब्लिक जूनियर हाईस्कूल
तुगलपुर, खानपुर, हरिद्वार

पत्रांक:— मान्यता-246(101)/985-89/2024-25 दिनांक 10, मार्च, 2025

विषय:— हाईस्कूल नवीन (हिन्दी माध्यम) की परीक्षा के लिये मान्यता प्रदान किये जाने विषयक।

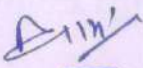
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:—152/XXIV-4/2025-05(17)/ 2024 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4, देहरादून, दिनांक: 07 मार्च, 2025 के द्वारा आपके विद्यालय को विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा-11(क) के अन्तर्गत हाईस्कूल नवीन (हिन्दी माध्यम) नवीन पाठ्यचर्या के अन्तर्गत अनुमन्य विषयों की वित्त विहीन मान्यता दिये जाने की स्वीकृति का आदेश प्रदान किया गया है।

उक्त शासनादेश के क्रम में विद्यालय को परिषद की वर्ष-2026 की हाईस्कूल नवीन (हिन्दी माध्यम) नवीन पाठ्यचर्या के अन्तर्गत अनुमन्य विषयों की परीक्षा से निम्नलिखित विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ मान्यता पत्र निर्गत किया जाता है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इस पत्र में वर्ग/विषय की नवीन 9वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष, आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से मुख्य शिक्षा अधिकारी को पूर्ण रूपेण संतुष्ट करें। इसके लिये संस्थाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (2) इस आदेश पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही मुख्य शिक्षा अधिकारी से 9वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय, इसके लिये सिंगल सीटेड कुर्सी व मेज ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों में अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।
- (5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाय।
- (6) नवीन वित्त विहीन मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा भविष्य में अनुदान के लिये मांग नहीं की जायेगी तथा नवीन कक्षाएँ संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे।


प्रबन्धक
बाबा किशन ज्योति मैमोरियल
हाईस्कूल, तुगलपुर, खानपुर (हरिद्वार)


(Principal)
Baba Kishan Jyoti Memorial
Public Junior High School
Tugalpur

कृ०प०उ०

मान्यता पत्र/2024.25

(2)
विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में अंकित विवरण/साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।
- (ख) विद्यालय में अवैधानिक कक्षाएँ संचालित न की जाय।

नवीन पाठ्यचर्या के अन्तर्गत अनुमन्य विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	अतिरिक्त विषय
हाईस्कूल नवीन (हिन्दी माध्यम)	1. हिन्दी 2. अंग्रेजी/संस्कृत 3. गणित/गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये) 4. विज्ञान 5. सामाजिक विज्ञान 6. योग आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा 7. कार्यानुभव/उद्यमिता विकास 8. कला शिक्षा	9 (क) तृतीय भाषा (ख) वाणिज्य (ग) पेंटिंग (घ) संगीत (ङ) गृह विज्ञान (च) सूचना एवं प्रौद्योगिकी (छ) कृषि

भवदीय

(वी०पी० सिमल्टी)

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)

पृ०सं०:- मान्यता-246(101)/ /2024-25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अपर सचिव, उत्तराखण्ड, शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4, देहरादून।
- (2) समापति/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (3) मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- (4) मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
- (5) हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग/कार्यालय प्रति।

(वी०पी० सिमल्टी)

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)Baba Kishan Jyoti Memorial Public
हाईस्कूल, तुगलपुर, खानपुर (हरिद्वार)(Principal)
Baba Kishan Jyoti Memorial
Public Junior High School
Tuglupur

मान्यता पत्र/ /2024.25